सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.09.2023

नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं से घटित अपराधों में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर बहला-फुसला कर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त पंकज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना इटियाथोक क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की माँ द्वारा थाना इटियाथोक में अभियोग पंजीकृत कराया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. पंकज कुमार पुत्र छविलाल निवासी वैशनपुरवा अइलो थाना पयागपुर जनपद बहराईच।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-513/23 धारा 363, 366, 506, 376 भादवि 3/4 पाक्सो ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता-

01. उ0नि0 धर्मराज शर्मा मय टीम थाना इटियाथोक, गोण्डा।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 29.09.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-29 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. थाना कौडिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. झोथू पुत्र लोलर निवासी पासिनपुरवा मौजा उड़िला थाना कौड़िया जिला गोण्ड के कब्जे से एक झोले मे 15 पाऊ प्रत्येक मे 200 ML अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-324/23, 02. रामदुलारे उर्फ विदुर पुत्र जगेश्वर उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम सरैयामाफी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से एक झोले मे 10 पाऊ प्रत्येक मे 200 ML अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-325/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02. थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अन्तिम तिवारी पुत्र संजय तिवारी निवासी ग्राम सोनारन टोला कस्बा वजीरगंज थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-439/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 29.09.2023

थाना छपिया क्षेत्र के अन्तर्गत एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं से घटित अपराधों में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस द्वारा दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त रवि प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना छपिया क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रविप्रकाश पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम मतवरिया थाना मोतीगंज जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-260/23 धारा 376(2), 323, 506 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता-

01. उपनिरीक्षक रवि प्रकाश यादव मय टीम थाना छपिया, गोण्डा।